रास्ता दोनों की दूरी 360 मीटर की है व नजदीकी है। इसलिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा **251क** के उद्देश्यो के विपरित है।

– : : आदेश : : –

: आदेश : : –

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खातेदारी खेत खसरा नं. 694/997 ग्राम–गौराऊ तहसील–जायल में कृषि कार्य हेतु आवागमन व आवश्यक संसाधन लाने व ले जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त के ग्राम–गौराऊ तहसील जायल खेत खसरा नं. 1635/700,1634/700,700 में से माफिक नजरी नक्शा अनुसार 16 फीट चौड़ाई का रास्ता के संबंध में प्रार्थी पक्ष द्वारा धारा 251 क के मुख्यतः बिन्दू प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता को साबित नहीं कर पाने तथा हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वच्छ हाथों से न्यायालय में पेश नहीं किये जाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद जाप्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01/9/2021 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

01/9/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

Scanned with CamScanner